FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम (SDO) बायतु

इस्लामी बानो बनाम सरकार राज. [illegible]

किस्म मुकदमा 75 RLR Act नं. 06/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.07.22	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत कुमार ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 75 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 03/08/2022 को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	
03/08/2022	अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्टगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 12 व 14 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 12 व 14 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 12 व 14 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक-13/09/22 को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/09/2022	अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। उत्तरदातागण अनुपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्ता बहस फाईनल करना चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/09/2022 को पेश हो। ह/- उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर
27/09/2022	अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई अपीलान्ट की अपील के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व उत्तरदातागण सं. 02 से 12 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर- 46, 43, 544 रकबा क्रमशः 37.5548, 8.4660, 12.8042 हैक्टयर मौजा- सरदारपुरा पटवार मण्डल- जाजवा तहसील- गिड़ा जिला- बाड़मेर में आये हुए है। उक्त भूमि में दिनांक- 10.03.2017 को अपीलान्ट संख्या- 1 व 2 ने 18.00 बीघा भूमि खसरा नम्बर- 46 में जरिये रजिस्टर्ड बेचान उत्तरदातागण संख्या- 02 से 07 को बेचान की गई, हल्का पटवारी व ग्राम पंचायत जाजवा द्वारा रजिस्टर्ड बेचान का नामान्तरकरण भरते समय तत्कालीन खाता संख्या- 83 में मौजूद खसरा संख्या- 544, 43, 46 में बिना कोई हिस्सा खोले सम्पूर्ण खाता में अंकित खसरों में उत्तरदाता संख्या- 02 से 07 का नामान्तरकरण पारित किया गया। और अपीलान्टगण की भूमि खसरा संख्या 544 व 43 बिना बेचान किये हुए उत्तरदातागण संख्या- 02 से 07 का नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने से व अपीलान्टगण

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की भूमि में गलत तरीके से नामान्तरकरण संख्या-258 पारित करने से क्षुब्ध होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील पेश की गई। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर उत्तरदातागणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। उत्तरदातागणों के नोटिस तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उत्तरदातागण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, अपीलान्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की अपीलान्ट संख्या-1 व 2 के द्वारा मौजा- सरदारपुरा परवार मण्डल-जाजवा तहसील- गिड़ा के खेत खसरा नं०-46 में से 18.00 बीघा भूमि उत्तरदातागण संख्या-2 से 7 के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज बेचान किया गया। जबकि हल्का पटवारी द्वारा गलत तरीके से अपीलान्टगण की सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर-43, 544 का नामान्तरकरण संख्या-258 पारित किया गया, इसलिए ग्राम पंचायत जाजवा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या-258 दिनांक-5.07.2017 को निरस्त फरमाया जावे। तथा अपीलान्टगण संख्या-46 में पुनः नामान्तरकरण भर खसरा संख्या-43 व 544 में उत्तरदाता संख्या-	

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	2 से 7 का नाम हटाने का आदेश फरमाया जावें।
	हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड नामान्तरकरण संख्या-258 दिनांक-5.07.2017 का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया की नामान्तरकरण संख्या-258 अपीलान्ट द्वारा बेचान रजिस्टर्ड दस्तावेजो के आधार पर नहीं भरा जाकर गलत तरीके से भरा गया है। जो निरस्त योग्य है।
	अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जाजवा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या-258 दिनांक-5.07.2017 निरस्त किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा उत्तरदाता संख्या-2 से 7 के पक्ष में किये गये बेचान रजिस्टर्ड दस्तावेजो के आधार पर खसरा नम्बर-46 का नामान्तरकरण नये सिरे से पुनः पारित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। ह०
	उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर